

प्रावधिक मान्यता प्रमाण पत्र

मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल,
गोमन्तिका परिसर, तृतीय तल, जवाहर चौक, भोपाल

क्रमांक/म.प्र.न.र.क./25/

भोपाल, दिनांक : 25/09/2025

मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल एतद् द्वारा मध्यप्रदेश नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता नियम, 2018 के तहत **Institute Of Nursing Sciences Studies & Research (insr) (17103) Gwalior, Opp Sithouli Railway Station NH75 Jhansi Road Sitouli Gwalior Run By society/Trust Name , Samata Lok Sansthan** पंजीयन क्रमांक **A250198** को निम्न नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु मान्यता प्रदान करता है:-

क्रमांक	पाठ्यक्रम	शैक्षणिक सत्र	छात्र संख्या	चार साल की संबद्धता
1	B.Sc. (Renewal)	2025-26	100	NO
2	G.N.M. (Renewal)	2025-26	60	NO
3	M.Sc. (Nursing) Medical Surgical Nursing (Renewal)	2025-26	5	NO
4	M.Sc. (Nursing) Community Health Nursing (Renewal)	2025-26	5	NO
5	M.Sc. (Nursing) Obstetric Nursing (Renewal)	2025-26	5	NO
6	M.Sc. (Nursing) Pediatric Nursing (Renewal)	2025-26	5	NO
7	M.Sc. (Nursing) Psychiatric Nursing (Renewal)	2025-26	5	NO
8	P.B B.Sc. (Renewal)	2025-26	40	NO

मान्यता की शर्त:-

1. यह मान्यता "मध्यप्रदेश नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता नियम, 2018" एवं "संशोधित नियम" के तहत शासित है।
2. सभी पाठ्यक्रमों के लिये मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल, भोपाल में रजिस्ट्रेशन के पूर्व पाठ्यक्रम से संबंधित अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करना एवं पाठ्यक्रम अनुसार इंटरनशिप पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
3. संस्था द्वारा छात्र अथवा उस के पालक से प्राप्त की जाने वाली विभिन्न फीस / शुल्क की अधिकतम सीमा निम्नानुसार होगी:-
(अ) प्रवेश, शिक्षण, विकास / संधारण, कम्प्यूटर, इन्टरनेट, आदि शुल्क के लिए समय-समय पर राज्य प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति अथवा मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल द्वारा निर्धारित शुल्क की राशि।
(ब) पंजीयन परीक्षा एवं परीक्षा परिणाम की अंकसूची / प्रमाण-पत्र के संबंध में मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल / मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर म.प्र. द्वारा निर्धारित शुल्क की राशि।
4. यह मान्यता स्वयं की घोषणा के आधार पर दी जा रही है। जानकारी असत्य पाये जाने पर मान्यता निरस्त की जावेगी।
5. मान्यता प्रमाण पत्र माननीय उच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति/माननीय उच्चतम न्यायालय के पारित आदेशों के अधीन रहेगा।
6. उक्त प्रावधिक मान्यता मध्य प्रदेश नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता नियम 2018 व संशोधित नियमों के तहत शर्तों दी जा रही है। भविष्य में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान उक्त शर्तों के उल्लंघन होने की दशा में उक्तमान्यता निरस्त की जा सकती है। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बंधित संस्था की होगी।
7. यह मान्यता आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत स्व प्रमाणित शपथ पत्र के आधार पर दी जा रही है। जानकारी असत्य पाए जाने पर मान्यता निरस्त की जावेगी।

Signature valid

Digitally signed by Mukesh Singh
Date: 2025.09.25 16:33:29 IST
Reason: Manyata Pramanpatra
Location: Bhopal(MP)

दिनांक :- 25/09/2025

हस्ताक्षर
श्री मुकेश सिंह
रजिस्ट्रार